


न्याय लय तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम रुसनाजी S/o होनाजी मेघवाल
मुकदमा नं. 13/19 **RCMS - 00005/2019**
धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

✓ पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल
उपस्थित/अनुपस्थित, पटवारी हल्का बिहलपुर की रिपोर्ट
अनुसार मौजा देवदरी के खसरा नं. 1341 रकबा 0:044
किस्म गैर सायल भूमि पर संवत् 2076 में कब्जा रूप में
अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रजिस्टर कर
नियमानुसार गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये
नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की
वैधता में पर्याप्त समय देने के बावजूद कोई साक्ष्य सबुत
पेश नहीं किया। अतः राज० भू०रा० अधिनियम 1956 की
धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना
ग्राम की दर रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0:044
हैक्टर की दर 0:64 रुपये का पचास गुणा से 32
रुपये अक्षरे वतीस रुपये आरोपित किया जाता है। मौके
पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं
पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी
हेतु लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो।
निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.12.19 को सुनाया
गया।


तहसीलदार, जालोर
तहसीलदार, जालोर